राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद

EMPOWERED BY: INDIAN CONSTITUION ARTICLE 19(1)(C)

Office: Prime Plaza, Indira Nagar Lucknow 226001

Administrative Office: 2nd Floor, Sunil Complex WK Road Meerut 250002

Website: www.nacbharat.com

FAQ

"अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न"

प्रश्न संख्या 1. राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद क्या है?

उत्तरः– यह अधिवक्ताओं का एक पंजीकृत, स्वतंत्र और गैर–राजनीतिक राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, विधिक सेवाओं का प्रचार करना, और समाज में न्यायिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।

प्रश्न संख्या 2. इस परिषद की सदस्यता कौन ले सकता है?

उत्तरः– कोई भी भारत में पंजीकृत अधिवक्ता परिषद का सदस्य बन सकता है। साथ ही, कानून के छात्रों और सेवानिवृत्त न्यायविदों के लिए भी विशिष्ट सदस्यता श्रेणियाँ उपलब्ध हैं।

प्रश्न संख्या 3. सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

उत्तरः– • वैध अधिवक्ता पहचान पत्र या BAR Council का प्रमाण

• पासपोर्ट साइज फोटो

• निर्धारित सदस्यता शुल्क

• ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन पत्र

प्रश्न संख्या 4. सदस्य बनने के क्या लाभ हैं?

उत्तरः– 1. अधिवक्ता सुरक्षा एवं सहयोग योजना

2. न्यायिक सुधारों में भागीदारी
3. राष्ट्रीय अधिवक्ता पहचान पत्र व प्रमाण पत्र
4. प्रशिक्षण शिविर, वर्कशॉप एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में
5. सहभागिता
6. आपातकालीन विधिक सहायता एवं परामर्श
7. सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर समवेत आवाज

प्रश्न संख्या 5. क्या यह परिषद बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त है?

उत्तरः–यह एक स्वतंत्र अधिवक्ता संगठन है और बार काउंसिल के समानांतर काम नहीं करता, बल्कि अधिवक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य सहयोग, मार्गदर्शन एवं अधिवक्ताओं की सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

प्रश्न संख्या 6. सदस्यता शुल्क कितना है?

उत्तरः– 0/–

प्रश्न संख्या 7. क्या परिषद कोई प्रमाणपत्र या पहचान पत्र देती है?

उत्तरः– हाँ, प्रत्येक मान्य सदस्य को डिजिटल व भौतिक पहचान पत्र और सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रश्न संख्या 8. परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं?

उत्तरः– 1. अधिवक्ताओं की समस्याओं पर शासन स्तर पर प्रभावी आवाज उठाना

2. समाज में विधिक सहायता शिविरों का आयोजन

3. राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता संगठनों को एकजुट करना

4. अधिवक्ताओं के लिए बीमा व कल्याणकारी योजनाओं की पहल

प्रश्न संख्या 9. परिषद में पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं?

उत्तरः– इच्छुक और सक्रिय सदस्यों को संगठनात्मक संरचना के अनुसार जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन/चयन/निर्वाचन के माध्यम से पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रश्न संख्या 10. परिषद का उद्देश्य केवल अधिवक्ताओं से जुड़ा है या समाज से भी?

उत्तरः– परिषद अधिवक्ताओं के साथ–साथ आम जनता को भी विधिक जागरूकता, मुफ्त कानूनी सहायता, और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए कार्य करती है। "न्याय सबका अधिकार है" – इस सिद्धांत पर परिषद कार्य करती है।

प्रश्न संख्या 11. परिषद किन–किन स्तरों पर कार्य करती है?

उत्तरः– परिषद की कार्यप्रणाली 3 स्तरों पर होती हैः–

- **जिला स्तर –** जिला अधिवक्ताओं का संगठन और जनसहयोग
- **राज्य स्तर –** राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से योजनाएं
- **राष्ट्रीय स्तर –** नीति, रणनीति और अधिवक्ता अधिकारों की रक्षा

प्रश्न संख्या 12. परिषद किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है क्या?

उत्तरः– नहीं, यह पूर्णतः गैर–राजनीतिक, स्वतंत्र, और न्याय प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध संगठन है।

प्रश्न संख्या 13. परिषद द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम कौन–कौन से हैं?

उत्तरः– "न्याय आपके द्वार" विधिक सहायता अभियानअधिवक्ता सुरक्षा एवं बीमा योजना

- विधिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं
- "विधि संवाद" – अधिवक्ताओं के साथ संवाद
- महिला अधिवक्ता सशक्तिकरण मिशन
- कानून छात्रों के लिए इंटर्नशिप/गाइडेंस प्रोग्राम

प्रश्न संख्या 14. परिषद में महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं?

उत्तरः– परिषद महिला अधिवक्ताओं को विशेष पहचान, मंच और नेतृत्व अवसर प्रदान करती है। इसके लिए "महिला विधिक प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है जो महिला सुरक्षा, अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित है।

प्रश्न संख्या 16. परिषद से जुड़ने के बाद मुझे किस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना होगा?

उत्तरः– **सदस्य अपनी सुविधा व रुचि अनुसार निम्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैंः–**

- विधिक सेवा शिविर
- जनजागरूकता अभियान
- अधिवक्ता अधिकार सम्मेलन
- समिति/प्रकोष्ठ कार्य
- सदस्यता विस्तार अभियान

प्रश्न संख्या 17. अगर मैं पहले से किसी अन्य अधिवक्ता संगठन का सदस्य हूं, तो क्या मैं परिषद से भी जुड़ सकता हूं?

उत्तरः– हां, राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद एक खुला मंच है। यदि आप संगठन के उद्देश्यों से सहमत हैं, तो आप बिना किसी रोक के सदस्य बन सकते हैं।

प्रश्न संख्या 18. परिषद द्वारा कोई मासिक/त्रैमासिक पत्रिका या प्रकाशन भी होता है क्या?

उत्तरः– हां, परिषद "न्याय संवाद" नामक पत्रिका प्रकाशित करती है, जिसमें विधिक विश्लेषण, सदस्य लेख, अद्यतन कानून, और संगठन की गतिविधियाँ शामिल रहती हैं।

प्रश्न संख्या 19. मैं परिषद के प्रचार–प्रसार में कैसे सहयोग कर सकता हूँ?

उत्तरः– आप संगठन के सदस्यता अभियान, सोशल मीडिया प्रचार, स्थानीय अधिवक्ताओं को जोड़ने, कार्यक्रम आयोजन जैसे कार्यों में सक्रिय भाग लेकर संगठन के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

भवदीय

Adv Mridula Sharma

Adv Mridula Sharma

कार्यालय सचिव

(राष्ट्रीय कार्यकारिणी)

राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद

प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ

226001